न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 19 / 2020 **दायर दिनांकः 17 / 02 / 2020**

उनवान

1. ओमप्रकाश आयु 60 वर्ष पुत्र गिरधारीलाल
2. रामकुवार आयु 45 वर्ष पुत्र गिरधारीलाल
3. कैलाशचन्द आयु 40 वर्ष पुत्र गिरधारीलाल
4. सविताबाई आयु 57 वर्ष पुत्री गिरधारीलाल
5. द्वारकीबाई आयु 54 वर्ष पुत्री गिरधारीलाल
6. निर्मलाबाई आयु 51 वर्ष पुत्री गिरधारीलाल
7. आशाबाई आयु 48 वर्ष पुत्री गिरधारीलाल
8. सन्जुबाई आयु 37 वर्ष पुत्री गिरधारीलाल
9. दमयन्ति आयु 39 वर्ष पुत्री गिरधारीलाल जातियान धाकड निवासीगण रीछन्दा तह0 अटरू जिला बारा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. गिरधारीलाल आयु 80 वर्ष पुत्र भॅवरलाल जाति धाकड निवासीगण रीछन्दा तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश दिनाकः 27 / 02 / 2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0 टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एंव माल रीछन्दा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 69 का ख0 न0 1741 का रकबा 0.51 है0 ख0 न0 1742 का रकबा 0.09 है0 ख0 न0 1743 का रकबा 0.06 है0 ख0 न0

1744 का रकबा 0.99 है0 ख0 न0 1746 का रकबा 1.60 है0 ख0 न0 1747 का रकबा 0.87 है0कुल किता 6 का रकबा 4.12 है0 प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज खाते चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद0 1 मे वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है। जो वादीगण के दादाजी भवरलाल के खाते दर्ज थी उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 को पिता भवरलाल से प्राप्त हुई थी तथा वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 की सन्ताने है। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी को वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 अपने अपने हिस्से को कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी मे वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/20, 1/20, बनता है जिसमे वादीगण का जन्म से ही अधिकार बनता है। मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी हिस्सा 1/20 को अलग से अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन प्रतिवादी क्रम 1 से किया तो प्रतिवादी क्रम 1 ने वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अलग से नाम दर्ज करवाने से साफ मना कर दिया तथा वादीगण ने दिनांक 12.01.2020 को प्रतिवादी क्रम 1 से फिर निवेदन किया कि हमारे हिस्से की आराजी 1/20 ,1/20 को हमारे खाते राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज करवाया जावें। परन्तु प्रतिवादी क्रम 1 ने फिर साफ मना कर दिया जबकि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज नही होने से वादीगण को कई समस्याओ का सामना करना पड रहा है। वादीगण कै0 सी0 सी0 नही बनवा सकते तथा अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ भी नही ले सकते जिससे वादीगण को बहुत नुकसान उठाना पड रहा है। जबकि वादीगण का वाद पत्र की मद0 न0 1 मे वर्णित आराजी मे जन्म से अधिकार बनता है। जिसे प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवेधानिक एंव गैर कानुनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। वादीगण वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे से अपने हिस्से 1/20 की आराजी को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद कारण प्रथमबार वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से अपने हिस्से की आराजी 1/20 को अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा मना करने पर व अन्तिम बार दिनांक 09.02.2020 को दोबारा साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र मे उत्पन्न हुआ। उक्त आराजी पर रहन का नोट हमारे हिस्से की आराजी पर दर्ज कर दिया जावें। जिसमे हमे कोई आपति नही है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल रीछन्दा तहसील अटरू जिला

बारां मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद मे आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी क्रम 2 बनाया है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पैश हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 सादिर फरमाई जावें।

(अ) वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 के मुताबिक हिस्सा 1/20, 1/20, राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि उपरोक्त उनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय मे जेरकार है। जिसमे आज तारीख पेशी नियत है।

ग्राम एवं माल रीछन्दा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 69 का ख0नं0 1741 की 0.51 है0 ख0नं0 1742 की 0.09 है0 ख0नं0 1743 की 0.06 है0 ख0नं0 1744 की 0.99 है0 ख0नं0 1746 की 1.60 है0 ख0नं0 1747 की 0.87 है0 कुल किता 6 की 4.12 है0 आराजी मे प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज खाता है जो प्रतिवादी क्रम 1 की पैतक सम्पत्ति है, जिसमे वादीगण 1 लगायत 9 का व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/20–1/20 बनता है। उक्त प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है जो राजीनामा निम्न प्रकार है।

ग्राम व माल रीछन्दा तहसील अटरू की खाता संख्या 69 का ख0नं0 1741 की 0.51 है0 ख0नं0 1742 की 0.09 है0 ख0नं0 1743 की 0.06 है0 ख0नं0 1746 की 1.60 है0 ख0नं0 1747 की 0.87 है0 आराजी में से हिस्सा 1/20–1/20 में वादी क्रम 2 रामकुंवार 3 केलाश

चन्द 4 सविता बाई के खाते दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें। ग्राम व माल रीछन्दा की खाता संख्या 69 की खसरा नं0 1744 की 0.99 है0 आराजी में से हिस्सा 1/20–1/20 में वादी 1 औमप्रकाश 5 द्वारकी बाई 6 निर्मला बाई, 7 आशा बाई 8 सन्जूबाई 9 दमयन्ति बाई व प्रतिवादी क्रम 1 गिरधारी लाल के खाते दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें। ग्राम व माल रिछन्दा तहसील अटरू की खाता संख्या 69 की ख0नं0 1744 की 0.99 है0 आराजी मे से हिस्सा 1/20–1/20 का हकत्याग वादी क्रम 1 औमप्रकाश 5 द्वारकी बाई 6 निर्मलाबाई 7 आशा बाई 8 सन्जूबाई 9 दमयन्ति बाई व प्रतिवादी क्रम 1 गिरधारी ने अपने सम्पूर्ण हिस्से का हकत्याग अपने सगे भाई बहिन व पुत्र पुत्री वादी क्रम 2 रामकुंवार 3 कैलाश चन्द 4 सविता बाई के पक्ष में बिना प्रतिफल लिए ही कर दिया है। ग्राम व माल रिछन्दा तहसील अटरू की खाता संख्या 69 की कुल किता 6 की 4.12 है0 आराजी में राजीनामें अनुसार वादी क्रम 2 रामकुंवार 3 कैलाशचन्द 4 सविता बाई को हिस्सा 1/6–1/6–1/6 का कृषक खातेदार घोषित किया जाकर हिस्सा 1/6–1/6 को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावें।

अतः श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य हुए राजीनामे को तस्दीक करने की कृपा करें।

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया वादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एड़0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी की पहचान श्री बद्रीलाल नागर द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया। अभिभाषकगण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया विवादित आराजी ग्राम रिछन्दा के खाता संख्या 69 की कुल किता 6 की 4.12 है0 जो वादीगण के दादाजी के खाते की थी, जो पैत्रिक सम्पत्ति है। जिसमे वादीगण का हिस्सा निहित है।

अतः न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम रिछन्दा की खाता संख्या 69 की किता 6 का रकबा

4.12 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 खाता दर्ज है। आपसी सहमति से वादीगण 1 ल 9 व प्रतिवादी 1 को 1/20–1/20 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

1. खाता संख्या 69 ख0नं0 1741 रकबा 0.51 है0 ख0नं0 1742 रकबा 0.09 है0 ख0नं0 1743 रकबा 0.06 ख0नं0 1746 रकबा 1.60 है0 ख0नं0 1747 की 0.87 है0 आराजी में से वादी क्रम 2 रामकुवार 3 कैलाश चन्द 4 सविता बाई को हिस्सा 1/20–1/20 हिस्से में रहेगी।
2. खाता संख्या 69 की ख0नं0 1744 रकबा 0.99 है0 आराजी में वादी क्रम 1 ओमप्रकाश 5 द्वारकी बाई, 6 निर्मला बाई 7 आशा बाई 8 सन्जू बाई दयमन्ति बाई व प्रतिवादी क्रम 1 गिरधारी के खाते में 1/20–1/20 रहेगी।

उक्त भूमि खाता संख्या 69 की ख0नं0 1744 की 0.99 है0 आराजी में से वादी क्रम 1 ओमप्रकाश, 5 द्वारकी बाई, 6 निर्मला बाई 7 आशा बाई, 8 सन्जूबाई 9 दयमन्ति बाई व प्रतिवादी क्रम 1 गिरधारी ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/20–1/20 अपने सगे भाई बहिन व पुत्र पुत्री वादी क्रम 2 रामकुवार, 3 कैलाश चन्द 4 सविता बाई के पक्ष में बिना प्रतिफल प्राप्त किये हकत्याग करने से ग्राम रीछन्दा की खाता संख्या 69 किता 6 की 4.12 है0 में वादी क्रम 2 रामकुवार 3 कैलाश चन्द 4 सविता बाई को हिस्सा 1/6–1/6 का खातेदार कृषक हकत्याग शुल्क जमा कराने की शर्त पर घोषित किया जाता है। रहन का नोट खाते में दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू नियमानुसार हकत्याग शुल्क जमा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 19/2020

उनवान

1. औमप्रकाश आयु 60 वर्ष पुत्र गिरधारीलाल
2. रामकुवार आयु 45 वर्ष पुत्र गिरधारीलाल
3. कैलाशचन्द आयु 40 वर्ष पुत्र गिरधारीलाल
4. सविताबाई आयु 57 वर्ष पुत्री गिरधारीलाल
5. द्वारकीबाई आयु 54 वर्ष पुत्री गिरधारीलाल
6. निर्मलाबाई आयु 51 वर्ष पुत्री गिरधारीलाल
7. आशाबाई आयु 48 वर्ष पुत्री गिरधारीलाल
8. सन्जुबाई आयु 37 वर्ष पुत्री गिरधारीलाल
9. दमयन्ति आयु 39 वर्ष पुत्री गिरधारीलाल जातियान धाकड निवासीगण रीछन्दा तह0 अटरू जिला बारा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. गिरधारीलाल आयु 80 वर्ष पुत्र भॅवरलाल जाति धाकड निवासीगण रीछन्दा तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीे लाल नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम रिछन्दा की खाता संख्या 69 की किता 6 का रकबा 4.12 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 खाता दर्ज है। आपसी सहमति से वादीगण 1 ल 9 व प्रतिवादी 1 को 1/20–1/20 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

1. खाता संख्या 69 ख0नं0 1741 रकबा 0.51 है0 ख0नं0 1742 रकबा 0.09 है0 ख0नं0 1743 रकबा 0.06 ख0नं0 1746 रकबा 1.60 है0 ख0नं0 1747 की 0.87 है0 आराजी में से वादी कम 2 रामकुवार 3 कैलाश चन्द 4 सविता बाई को हिस्सा 1/20–1/20 हिस्से में रहेगी।
2. खाता संख्या 69 की ख0नं0 1744 रकबा 0.99 है0 आराजी में वादी कम 1 ओमप्रकाश 5 द्वारकी बाई, 6 निर्मला बाई 7 आशा बाई 8 सन्जू बाई दयमन्ति बाई व प्रतिवादी कम 1 गिरधारी के खाते में 1/20–1/20 रहेगी।

उक्त भूमि खाता संख्या 69 की ख0नं0 1744 की 0.99 है0 आराजी में से वादी कम 1 ओमप्रकाश, 5 द्वारकी बाई, 6 निर्मला बाई 7 आशा बाई, 8 सन्जूबाई 9 दयमन्ति बाई व प्रतिवादी कम 1 गिरधारी ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/20–1/20 अपने सगे भाई बहिन व पुत्र पुत्री वादी कम 2 रामकुवार, 3 कैलाश चन्द 4 सविता बाई के पक्ष में बिना प्रतिफल प्राप्त किये हकत्याग करने से ग्राम रीछन्दा की खाता संख्या 69 किता 6 की 4.12 है0 में वादी कम 2 रामकुवार 3 कैलाश चन्द 4 सविता बाई को हिस्सा 1/6–1/6 का खातेदार कृषक हकत्याग शुल्क जमा कराने की शर्त पर घोषित किया जाता है। रहन का नोट खाते में दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू नियमानुसार हकत्याग शुल्क जमा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 27.02.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.03.19 12:50:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: